SSR-2017–3

ई–मेल / डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः प.3(3)(1)रोल / निर्वा / 2016 / 3482 जयपुर, दिनांक 08.09.2016

प्रेषक : **मुख्य निर्वाचन अधिकारी,**
राजस्थान, जयपुर

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : अर्हता दिनांक 01.01.2017 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम – एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची– 2017 की चैकलिस्ट की जॉच के संबंध में दिशा–निर्देश।

प्रसंग : इस विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 3439 दिनांक 02.09.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के प्रासंगिक पत्र क्रमांक 3439 दिनांक 02.09.2016 के द्वारा **प्रारूप मतदाता सूची–2017** की चैकलिस्ट को डाउनलोड कर इसकी जॉच करने के विषय में आपको सूचित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) द्वारा चैकलिस्ट को डाउनलोड कर सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को जॉच हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

इस चैकलिस्ट की जॉच के विषय में विभाग स्तर पर दिशा–निर्देश तैयार किए गए है जो इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किए जा रहे है। आपसे अनुरोध है कि इसकी समुचित संख्या में प्रतियॉ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध करवा दें ताकि चैकलिस्ट की जॉच के समय महत्वपूर्ण बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए इसकी सघन जॉच की जाकर विशुद्ध एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची 2017 प्रारूप प्रकाशन की निर्धारित दिनांक 01.10.2016 से पूर्व तैयार की जा सके।

कृपया आप यह सुनिश्चित करें कि चैकलिस्ट की जॉच का कार्य आवश्यक रूप से दिनांक 12 सितम्बर, 2016 तक पूर्ण कर लिया जाए तथा अनुबंधित फर्म के माध्यम से चैकलिस्ट में दर्शाई गई त्रुटियों को दिनांक 20 सितम्बर, 2016 तक ERO सॉफटवेयर पर ठीक करवा लिया जाए। इसके पश्चात् प्रारूप प्रकाशन हेतु सॉफटवेयर से प्रारूप मतदाता सूची का प्रिन्ट प्राप्त कर मतदाता सूचियों की समुचित संख्या में फोटों प्रतियॉ तैयार करवा ली जाए जिससे कि प्रतियों का विभिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा सकें।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों की जानकारी सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध करवाई जाए तथा इनकी पालना की जाना सुनिशिचित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(हरिशंकर गोयल)
कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प.3(3)(1)रोल / निर्वा / 2016 / 3482 जयपुर, दिनांक 08.09.2016

प्रतिलिपि :–1. समस्त सम्भागीय आयुक्त (रोल पर्यवेक्षक) को सूचनार्थ ।
2. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त अधिकारी गण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

अर्हता दिनांक 01.01.2017 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम – चैकलिस्ट की जॉच हेतु दिशा–निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 को एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची 2017 का प्रकाशन किया जाएगा। वर्तमान में प्रारूप मतदाता सूची की तैयारी का कार्य चल रहा है, जिसकी सघन जॉच की जाकर विशुद्ध एवं सही प्रारूप मतदाता सूची –2017 तैयार की जानी है। विभाग के समसंख्यक पत्र क्रमांक 3252 दिनांक 24.08.2016 एवं पत्र क्रमांक 3439 दिनांक 02.09.2016 के द्वारा एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची 2017 के डेटा को जिला स्तर पर डाउनलोड करने के विषय में दिशा–निर्देश दिए गए है। जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) से यह अपेक्षा है कि वह अविलम्ब विधानसभा क्षेत्रवार चैकलिस्ट का प्रिन्ट प्राप्त कर सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को जॉच हेतु अविलम्ब उपलब्ध करावें।

2. **चैकलिस्ट का प्रारूप** – जैसा कि आपको विदित है कि संदर्भ तिथि 01.01.2016 के क्रम में मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 11 जनवरी, 2016 को किया गया था। मतदाता सूची के अन्तिम प्रकाशन के समय मूल मतदाता सूची 2014 व इसके पश्चात् लोकसभा आम चुनाव के दौरान तैयार पूरक सूचियॉ एवं इसके बाद सम्पन्न विभिन्न मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान तैयार की गई कुल 6 पूरक सूचियॉ संलग्न है। दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मतदाता सूची के अन्तिम प्रकाशन के बाद निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं ERMS पर अपलोड करने के बाद तैयार की गई पूरक सूची–7 जिसका कि प्रिन्ट प्राप्त कर रिकार्ड में रखने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को विभाग के प्रासंगिक पत्र से सूचित किया गया है। मूल मतदाता सूची 2014 के साथ संलग्न 7 पूरक सूचियों का एकीकरण करते हुए विभाग की SLA मैसर्स रील द्वारा एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची 2017 की चैकलिस्ट तैयार की गई है। इस चैकलिस्ट में पूर्व में पंजीकृत मतदाताओं के मतदाता क्रमांक एवं

वर्तमान में मतदाताओं के नए क्रमांक अंकित किए गए है, जो कि मतदाताओं के संदर्भ में देखने हेतु उपयोगी है। इसके अतिरिक्त चैकलिस्ट में सॉफटवेयर के माध्यम से चिन्हित की गई त्रुटियों को भी बॉक्स में प्रिन्ट किया गया है जिसकी कि जॉच की जाकर इन्हें ठीक किया जाना है।

3. **चैकलिस्ट की जॉच के कार्य हेतु स्टॉफ की उपलब्धता** – चैकलिस्ट की जॉच का कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की देखरेख में किया जाना है। इस कार्य में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का भी सक्रिय सहयोग लिया जा सकता है। इस कार्य हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्तर पर दक्ष कर्मचारियों की एक टीम तैयार कर ली जाए अथवा भागवार चैकलिस्ट की जॉच संबंधित बीएलओ से करवाई जाए।

4. **चैकलिस्ट की जॉच हेतु आवश्यक दस्तावेज** – चैकलिस्ट की जॉच करने वाली टीम/कर्मचारियों को मूल मतदाता सूची 2014 व इसके पश्चात् तैयार की गई परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन आदि की 7 पूरक सूचियॉ उपलब्ध करवाई जाए।

5. **जॉच का समय** – जैसा कि आपको विदित है कि आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची 2017 का प्रकाशन दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 को किया जाना है, इसलिए चैकलिस्ट की सघन जॉच का कार्य आवश्यक रूप से दिनांक 12 सितम्बर, 2016 तक पूर्ण कर लिया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता वांछनीय नहीं है।

6. **चैकलिस्ट की जॉच के विषय में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिन्दु** – जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि चैकलिस्ट में मूल मतदाता सूची 2014 व इसके बाद तैयार की गई 7 पूरक सूचियों का एकीकरण कर चैकलिस्ट तैयार की गई है तथा चैकलिस्ट में सॉफटवेयर के माध्यम से चिन्हित की गई त्रुटियों को बॉक्स में प्रिन्ट किया गया है। चैकलिस्ट में मतदाताओं के पुराने मतदाता क्रमांक व नए मतदाता क्रमांक भी दर्शाए गए है। चैकलिस्ट की जॉच के समय जॉच करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को निम्न बिन्दुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना है।

6.1 चैकलिस्ट में सभी पूरक सूचियों का एकीकरण होने से एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची 2017 की चैकलिस्ट में कुल 7 पूरक सूचियों का एकीकरण हुआ है जिसमें विभिन्न पूरक सूचियों यथा परिवर्धन, संशोधन, विलोपन की पूरक सूचियॉ सम्मिलित है। जॉच अधिकारी/कर्मचारी सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि सभी पूरक सूचियों का एकीकरण हो गया है। विभिन्न पूरक सूचियों के माध्यम से जोड़े गए मतदाताओं एवं विलोपित किए गए मतदाताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित कर लें कि मतदाता सूची मे कुल कितने मतदाता है तथा चैकलिस्ट में कुल कितने मतदाता अंकित है।

6.2 **आयु की जॉच** – चैकलिस्ट में वर्ष 2014 की मूल मतदाता सूची 2014 तथा संदर्भ तिथि 01.01.2014 के क्रम में निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया के दौरान पंजीकृत किए गए मतदाताओं की आयु में कुल 3 वर्ष की बढ़ोतरी की गई है इसके पश्चात् संदर्भ तिथि 01.01.2015 के क्रम में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान पंजीकृत किए गए मतदाताओं की आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी की गई है तथा संदर्भ तिथि 01.01.2016 के क्रम में पंजीकृत नए मतदाताओं की आयु में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। जॉच के समय पूरक सूचियों का मिलान करते हुए यह सुनिश्चित करें तद्नुसार सॉफटवेयर के माध्यम से तद्नुसार आयु में बढ़ोतरी हुई है अथवा नहीं। इस विषय में केवल सैम्पल की जॉच की जानी है क्योंकि उक्त सभी कार्य सॉफटवेयर के माध्यम से किया गया है।

6.3 **परिशिष्ट–2 की जॉच** – परिशिष्ट 2 के प्रत्येक भाग की मतदाता सूची का प्रथम पृष्ठ है। परिशिष्ट–2 की जॉच करते समय इसमें राज्य का नाम, क्षेत्र/लोकसभा/विधानसभा क्षेत्र का नाम, परिशिष्ट का वर्ष, मतदान केन्द्र का नाम, मतदान क्षेत्र का विस्तार, मतदान क्षेत्र से संबंधित ग्राम, पटवार, सर्किल, तहसील, जिला, मतदान केन्द्र का विवरण एवं मतदाताओं की संख्या का उल्लेख किया गया है। कृपया परिशिष्ट–2 की सघनता से जॉच कर लें तथा यथा स्थान संशोधन करें। मतदान केन्द्र

के एरिया में क्षेत्र/परिक्षेत्र की सूची भी देख लें तथा कोई संशोधन वांछनीय है तो किए जाए। यदि मतदान केन्द्र के भवन परिवर्तन के प्रस्ताव जिला कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए है तथा आयोग से अनुमोदन अपेक्षित है तो मतदान केन्द्र के नाम में संशोधन कर लिया जाए। इस वर्ष पुनरीक्षण का वर्ष 2017 होगा, संदर्भ तिथि 01.01.2017 होगी, पुनरीक्षण का प्रकार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण है तथा मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 10 जनवरी, 2017 को किया जाएगा। नामावली की पहचान के अन्तर्गत समस्त पूरक सूचियों को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षण 2017 की एकीकृत मतदाता सूची अंकित किया जाना है।

7. **मतदाता सूची के शुद्धिकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान के दौरान मतदाता सूची में चिन्हित की गई लोजीकल (Logical errors) त्रुटियों के संबंध में** – एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची– 2017 की चैकलिस्ट में सॉफटवेयर के माध्यम से चिन्हित की गई त्रुटियों को बॉक्स में मुद्रित किया गया है। इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ECI-NET में जो मतदाता सूची में लोजीकल ऐरर बताई गई थी अथवा फील्ड में सर्वे के दौरान जिन त्रुटियों का सत्यापन, शुद्धिकरण अभियान के दौरान कराया गया है तथा जिन्हें ERMS में आदिनांक नहीं किया गया है तो ऐसी त्रुटियॉ चैकलिस्ट में दिखाई देगी। चूँकि पूर्व में त्रुटियों को चिन्हित किया गया है तथा इसका सत्यापन करवा लिया गया है अब अन्य सत्यापन की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अतः पूर्व में किए गए सत्यापन की कार्यवाही के अनुसार चैकलिस्ट में त्रुटियों का यथा स्थान संशोधन कर लिया जाए ताकि एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची 2017 विशुद्ध रूप से प्रकाशन हेतु तैयार हो सके।

8. **एक ही परिवार एवं एक ही बिल्डिंग के मतदाताओं को एक साथ मतदाता सूची में स्थान देना** – मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण हेतु आयोजित राष्ट्रीय अभियान के दौरान मतदान केन्द्रों के सुव्यवस्थिकरण हेतु किए जाने वाले विभिन्न कार्यो के अन्तर्गत सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से यह अपेक्षा की गई थी कि वह

मतदाता सूची की जॉच करवाकर यह सुनिश्चित कर लें कि मतदात सूची में एक ही परिवार के सदस्य एक साथ पंजीकृत है अथवा नहीं। यदि एक साथ पंजीकृत नहीं है तो उन्हें प्रारूप मतदाता सूची 2017की चैकलिस्ट की जॉच के दौरान एक स्थान पर लाया जाकर तद्नुसार प्रारूप मतदाता सूची–2017 तैयार की जानी है। इसी प्रकार की कार्यवाही एक ही बिल्डिंग में रह रहे परिवार तथा इस बिल्डिंग के मतदाता अन्य किसी दूसरी बिल्डिंग में पंजीकृत है तो उन्हें भी एक ही बिल्डिंग में लाया जाकर कार्यवाही की जावें। चूॅकि राष्ट्रीय अभियान के दौरान इस प्रकार के सभी प्रकरणों को चिन्हित किया गया है। इसलिए प्रारूप मतदाता सूची की चैकलिस्ट की जॉच के दौरान एक ही परिवाार/एक ही बिल्डिंग के मतदाताओं को एक साथ लाए जाने के विषय में भी कार्यवाही करते हुए संशोधन दर्शाए जाए ताकि एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची विशुद्ध रूप से तैयार की जा सके।

9. **चैकलिस्ट की जॉच के दौरान शुद्ध की गई त्रुटियों को आदिनांक करना** – जैसा कि चैकलिस्ट के प्रिन्टिंग के विषय में विभाग के निर्देशों के अनुसार आप द्वारा कार्यवाही की गई है। अतः तद्नुसार ही चैकलिस्ट की जॉच के पश्चात् संशोधित की गई त्रुटियों का आदिनांक करने हेतु ERO सॉफटवेयर में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा **उनके जिले की अनुबंधित फर्म के माध्यम से त्रुटियों का आदिनांक किया जाना है।** त्रुटियों को आदिनांक करने के पश्चात् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यह देख लें कि सभी त्रुटियॉ संशोधित हो गई है। इसके पश्चात् गूगल गूगल ड्राईव में Summary Revision Data Upload Software Version 3.3.6 अथवा नवीनतम सॉफटवेयर में जाकर Draft Roll-2017 का अन्तिम प्रिन्ट प्राप्त किया जा सकता है।

(विनोद कुमार पारीक)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।